

आदेश की क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख के
साथ

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 34/14-15 शिवकालो देवी वनाम् रामाधार पासवान एवं अन्य आदेश

27.02.15

आवेदिका शिवकालो देवी पति मुनेश पासवान, साकिन-कुसरे टोला अकलु चौकी, थाना+अंचल-कलेर, जिला-अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर सीमांकन कराकर पिलरींग कराने एवं दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम-कलेर, टोला अकलु चौकी, थाना+अंचल-कलेर, जिला-अरवल में अवस्थित है निम्न है:-

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
167	1413	25 डी०	उत्तर-रामाधार पासवान (विपक्षी), दक्षिण -रामाधार पासवान, पूरब-सुरेश पासवान, पश्चिम-नीज (आवेदिका)

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। तदानुसार अनुसेवी से नोटिस तामिला कराया गया विपक्षी उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित भूमि आवेदिका को निबंधित केवाला के माध्यम से प्राप्त भूमि है।
- (2) विवादित भूमि का डिमाण्ड आवेदिका के नाम से कायम है और राजस्व का भुगतान कर रही है।
- (3) अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में धारा 144 द० प्र० सं० शिवकालो देवी बनाम् कामला पासवान वगैरह वाद संख्या 662/2010 संचालन हुआ था जिसमें प्रथम पक्ष के पक्ष में आदेश पारित की गई है।
- (4) विपक्षी प्रत्युत्तर में विवादित प्लॉट का चौहद्दी उत्तर में वकील खों अंकित है जो गलत है जबकि चीरारी है तथा पूर्व में शिवकालो देवी न होकर दक्षिण में शिवकालो देवी है इस प्रकार विपक्षी का दिया हुआ चौहद्दी गलत है।
- (5) विवादित भूमि में उत्तरी अंश पर विपक्षी नॉद, खूटा गाड़कर दखल कब्जा करना चाहते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माँगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

(1) विवादित भूमि खाता नं० 167 प्लॉट नं० 1413 का कुल रकवा 1.68 डी० है। जिसमें विपक्षी दिनांक 11.05.1989 को 1 कट्टा भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदी भूमि है तथा खाता नं० 203 प्लॉट नं० 1412 का कुल रकवा 79 डी० है जिसमें दिनांक 31.08.2006 को निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदी कर शांति पूर्वक दखल काबिज होकर अपने सकुनत के अनुसार उपयोग करते चले आ रहे हैं।

(2) विपक्षी का भूमि आवेदिका के खरीदी से पूर्व का है, आवेदिका जान बुझकर विपक्षी को गरीब समझकर जमीन को हड़पने के नियत से वाद लाये है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज करने योग्य है।

उभय पक्षों को सुनने एवं स्थल निरीक्षण के उपरान्त विवादित भूमि की नापी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त से करायी गयी। नापी प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त प्रतिवेदन पर आपत्ति के लिए वाद को रखा गया। आपत्ति नहीं होने के उपरान्त नापी प्रतिवेदन को संपुष्ट किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में मापी प्रतिवेदन एवं पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदिका ने निबंधित केवाला से दिनांक 15.03.2001 को प्रदीप कुमार राज पिता स्व० विन्देश्वर प्रसाद एवं दिनांक 18.12.2006 को श्री रमेश पाठक पिता दिनेश पाठक से विवादित भूमि का क्रय किया है दिनांक 11.05.1989 एवं दिनांक 31.08.2006 के द्वारा खरीद किया गया भूमि है। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने मापी कराकर उभय पक्ष की भूमि को चिन्हित कर दिया है जिसपर उभय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

27.02

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

27.02

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।